रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274204
CG-DL-E-07072026-274204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948
No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

आ.अ. 29(अ).— यतः, पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित सुश्री सुष्मिता देव का स्थान जिनकी पदावधि 02.04.2030 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके त्यागपत्र देने के कारण 10.06.2026 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 27 जुलाई, 2026 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 14 जुलाई, 2026 (मंगलवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 15 जुलाई, 2026 (बुधवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 17 जुलाई, 2026 (शुक्रवार);

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 24 जुलाई, 2026 (शुक्रवार); और

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 27 जुलाई, 2026 (सोमवार); नियत करता है; और

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[फा. सं.- 100/रा.स.- पश्चिम बंगाल/06/2026(1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

O.N. 29(E).— WHEREAS, the seat of Ms. Sushmita Dev, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal, has become vacant on 10.06.2026 by the reason of her resignation, before the expiration of her term of office which was up to and including 02.04.2030; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal to elect, before 27th July, 2026 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) **appoints,** with respect to the said election;

(a) the 14th July, 2026 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 15th July, 2026 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 17th July, 2026 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 24th July, 2026 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 27th July, 2026 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No.- 100/CS-WB/06/2026 (1)]

By order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.07 11:05:20 +05'30'